FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमा[illegible]

मि[illegible]राम बनाम सुरजमल

किस्म मुकदमा दावा नं. 73/1979

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	बार आवाज लगवाई गई परन्तु वादी प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण पक्षकारान कोई हाजिर अदालत नहीं आये। अतः प्रतिवादीगण व पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत कायम मुकामी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया पर वकील वादी को सुना जाकर वकील द्वारा पेश प्रार्थना पत्र कायम मुकामी [illegible] हित में स्वीकार किये जाते है। वास्ते पेश संशोधित शीर्षक वाद पत्र पत्रावली दिनांक 15-07-2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला-नीमकाथाना
15.07.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण मय पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक-रूक कर अधिवक्तागण व पक्षकारान को बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकील वादीगण मय पक्षकारान कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील वादीगण मय पक्षकारान की अनुपस्थिति में वाद पत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। (हस्ताक्षर) (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.19 13:12:48 IST
Reason: SelfAttested